भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1607

उत्तर देने की तारीख: 21/12/2022

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना

1607 **श्री कार्तिकेय शर्मा:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने से भारतीय छात्रों को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह निर्णय छात्रों को पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बीच के अंतर को कम करने में मदद करता है जिससे वैचारिक समझ का सृजन हो सके; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ग): भारतीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 विभिन्न उपायों को निर्धारित करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के साथ अनुसंधान/शिक्षण सहयोग और संकाय/छात्र विनिमय की सुविधा; अन्य देशों के साथ पारस्परिक रूप से हितकारी प्रासंगिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना; अन्य देशों में कैंपस स्थापित करने के लिए उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना; भारत में संचालित करने के लिए दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों जैसे चयनित विश्वविद्यालयों को सुविधा प्रदान करना; विदेश से आने वाले छात्रों के स्वागत और सहायता के लिए प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) में अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय की स्थापना; और विषयों जैसे इंडोलॉजी, भारतीय भाषाएं, दवाओं की आयुष प्रणाली, योग, कला आदि में पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आदि शामिल है;

एनईपी, 2020 की सिफारिशों के अनुरूप उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को मजबूत करने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं, जैसे:

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 02.05.2022 को ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग पर विनियम जारी किए हैं।

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 29.07.2022 को उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों विदेशी छात्रों की सुविधा और अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए संपर्क के एक बिंदु के रूप में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय की स्थापना करना अपेक्षित है।

iii. वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफ़एससीए) को छोडकर, घरेलू विनियमों से मुक्त वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफ़टी सिटी) में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी।

iv. ये पहलें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बहु-विषयक शिक्षा के लिए छात्रों को वैश्विक अनुभव प्रदान करेंगी। इनसे विदेशी छात्र को आकर्षित होंगे और भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार होगा क्योंकि रैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण मानदंड है।

(घ) से (ङ): आधुनिक और पारंपरिक शिक्षा के बीच अंतर को कम करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय का भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) प्रभाग कई पहल कर रहा है, जिसमें अवर स्नातक छात्रों के लिए आईकेएस इंटर्नशिप शुरू करना शामिल है।
